जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बिजनौर

जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

| क्र0सं | बिन्दु | बिन्दुवार सूचना |
|---|---|---|
| 1 | अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य | रबी सत्र में शासन की नीति के अनुरूप किसानों से गेहूँ की खरीद कर स्टेट पूल के अन्तर्गत भण्डारण का कार्य यथासमय सुनिश्चित किया जाता है। खरीफ सत्र में किसानों से धान क्रय कर विर्निदिष्ट चावल मिलों से धान की कुटाई कराकर निर्धारित गुणनिर्दिष्टियों का चावल चावल मिलों से प्राप्त कर चावल का समय से स्टेट पूल में भण्डारण सुनिश्चित किया जाता है। स्टेट पूल में उक्तानुसार भण्डारित गेहूँ/चावल से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन के अनुरूप यथासमय आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। |
| 2 | अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्य | कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं |
| 3 | विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यव्रेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं | क्रम से निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं।<br>जिला खाद्य विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, ज्येष्ठ लेखा लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत हैं। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय कलक्ट्रेट परिसर, बिजनौर में स्थित है। |
| 4 | अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वंय द्वारा निर्धारित मापमान | जिला खाद्य विपणन अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियंत्रण मे सभी विभागीय कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।। |
| 5 | अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देर्शिका और अभिलेख | संस्था द्वारा जिला खाद्य विपणन अधिकारी, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, ज्येष्ठ लेखा लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं। |
| 6 | ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं | शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण्र कर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति, निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं | इस विभाग में ऐसा कोई कार्यक्रम संचालित नहीं है |
| 8 | बोर्ड/परिषदों/समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये की गयी हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो/परिषदों/समितियो तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठक के लिये कार्यवृत्त सुलभ हैं | इस विभाग में ऐसा कोई कार्यक्रम संचालित नहीं है |
| 9 | अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों की निर्देशिका | इस विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं। |
| 10 | अपने प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो | विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक ऑकडे सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, मुरादाबाद एवं वित्त नियंत्रक लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते हैं। |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट। | इस विभाग में विभागीय योजनाओं के कियान्वय हेतु बजट सम्भाग स्तर पर स्थापित लेखा कार्यालय में वित्त नियंत्रक, लखनऊ से प्राप्त होता है जबकि अन्य मदों जैसे कार्यरत स्टाफ के वेतन आदि देयेकों के भुगतान हेतु बजट वित्त नियंत्रक, लखनऊ से सीधे जनपद स्तर पर प्राप्त होता है। |
| 12 | सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रम क लाभार्थियों के ब्यौरे सम्बन्धित है। | इस विभाग में ऐसा कोई कार्य संचालित नहीं है |
| 13 | अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों/अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियॉं। | किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से गेहूॅ/धान खरीद हेतु मूल्य समर्थन योजना संचालित की जाती है। |
| 14 | किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो। | विभाग द्वारा समस्त सूचनायें संकलित कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं। आवश्यकतानुसार प्रचार– प्रसार भी कराया जाता है। |
| 15 | सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयों के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं। | ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है |
| 16 | जन सूचना अधिकारियों के नाम/पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ | जन सूचना अधिकारी– श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, बिजनौर, सहायक जन सूचना अधिकारी– श्री ओमपाल सिंह, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक, बिजनौर |

जिला खाद्य विपणन अधिकारी
बिजनौर